अधपन्ना COUNTERFOIL

फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर
₹ 10
POSTAL ORDER

किसे अदा करना / To whom payable: उ.म.शि.प.
उत्तराखण्ड मदरसा
किस डाकघर में / At what Office: शिक्षा परिषद
क्या इसे क्रास किया है / Whether crossed
भेजने की तारीख / Date sent

4F 529813

पत्रांकः 1713 / सू.अ. / 2025

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी / उप रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद
अल्पसंख्यक कल्याण भवन, प्रथम ब्लॉक,
शहीद भगत सिंह कालौनी, अधोईवाला
देहरादून–248001

विषय : "सूचना अधिकार अधिनियम 2005" के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु नम्र प्रार्थना करता है। आवश्यक विवरण निम्न प्रकार है:–

(1) अनुरोध कर्ता का नामः नदीम उद्दीन (राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता)

(2) पत्राचार/सम्पर्क का पूरा पताः **कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां, काशीपुर–244713(उत्तराखंड)**
Email: nadimadvocate@gmail.com

(3) इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण:

3.1– उत्तराखण्ड में अवैध मदरसों की जांच से संबंधित नियम प्रावधानों का पूर्ण विवरण, सम्बंधित नियम, प्रावधानों तथा शासनादेशों, नोटिफिकेशनों की सत्यापित फोटोप्रतियों सहित

3.2– उत्तराखण्ड में अवैध मदरसों को सील किये जाने से संबंधित नियम प्रावधानों का पूर्ण विवरण, सम्बंधित नियम, प्रावधानों तथा शासनादेशों, नोटिफिकेशनों की सत्यापित फोटोप्रतियों सहित

3.3– उत्तराखण्ड में सील किये गये मदरसों को खुलवाये जाने से संबंधित नियम प्रावधानों का पूर्ण विवरण, सम्बंधित नियम, प्रावधानों तथा शासनादेशों, नोटिफिकेशनों की सत्यापित फोटोप्रतियों सहित

3.4– उत्तराखण्ड में जांच कराये गये मदरसों की जिलावार संख्या का विवरण

3.6– उत्तराखण्ड में सील कराये गये मदरसों की जिलावार संख्या का विवरण

3.7– उत्तराखण्ड में सील किये गये मदरसों को उन मदरसों की जिलावार संख्या का विवरण जिन्हें सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक खुलवा दिया गया है

3.8– उत्तराखण्ड में अपंजीकृत/अवैध मदरसों की अद्यतन सूची वेबसाइट पर उपलब्ध होने का विवरण, संबंधित वेबसाइट के पूर्ण लिंक के विवरण सहित

3.9– उत्तराखण्ड मे सील किये गये मदरसों की अद्यतन सूचीं वेबसाइट पर उपलब्ध होने का विवरण, संबंधित वेबसाइट के पूर्ण लिंक के विवरण सहित

3.10– उत्तराखण्ड में सील किये गये उन मदरसों की अद्यतन सूचीं वेबसाइट पर उपलब्ध होने का विवरण, जिन्हें सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक खुलवा दिया गया है, संबंधित वेबसाइट के पूर्ण लिंक के विवरण सहित

(4) सूचना जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित होने का विवरण : (यदि लागू हो)

(5) सम्बन्धित विभाग का नाम: उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद

(6) आवेदन शुल्क जमा करने का विवरणः पोस्टल आर्डर सं. 529813 संलग्न किया जा रहा है।

(7) गरीबी रेखा से नीचे आय का प्रमाण (यदि लागू हो) नहीं

(8) जनहित का विवरणः उक्त सूचना के प्रार्थी को उपलब्ध होने से व्यापक जनहित होगा तथा इसके प्रकटन को रोकना सूचना अधिकार अधिनियम की उद्देशिका में उल्लेखित पारदर्शिता तथा लोक प्राधिकारी की जवाबदेही के प्रतिकूल है।

(9) प्रार्थना पत्र जमा करने की तिथि: 21-03-25

(10) आवेदक के हस्ताक्षर :

1

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, द्वितीय ब्लॉक, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। 0135–2975456

Email–ukmadarsaboard@gmail.com, website-www.ukmadarsaboard.org.in

सूचना का
अधिकार

पत्रांक 02 /उ.म.शि.प./सू.का.अ.अधि./श्री नदीम उद्दीन/2025–26 दिनांक 07 अप्रैल, ~~मार्च~~, 2025

सेवा में,

श्री नदीम उद्दीन, (राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता)
पता– कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां, काशीपुर,
ऊधमसिंहनगर पिन–244713

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आपके सूचना अनुरोध पत्रांकः 1713/सू.अ./2025 दिनांक 21.03.2025 जो इस कार्यालय में दिनांक 24.03.2025 को प्राप्त हुआ, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा 3.1 से 3.10 तक अर्थात कुल 10 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

बिन्दु सं0	बिन्दुवार मांगी गई सूचना	सूचना से सम्बन्धित उत्तर
1.	उत्तराखण्ड में अवैध मदरसों की जांच से सम्बन्धित नियम प्रावधानों का पूर्ण विवरण, सम्बन्धित नियम, प्रावधानों तथा शासनादेशों, नोटिफिकेशनों की सत्यापित फोटोप्रतियों सहित।	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून में अवैध मदरसों की जांच/मदरसों की संख्या/सूचना से सम्बन्धित कोई भी अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। सूचना धारित नहीं है।
2.	उत्तराखण्ड में अवैध मदरसों को सील किये जाने से सम्बन्धित नियम प्रावधानों का पूर्ण विवरण, सम्बन्धित नियम, प्रावधानों तथा शासनादेशों, नोटिफिकेशनों की सत्यापित फोटोप्रतियों सहित।	बिन्दु संख्या 01 के अनुसार सूचना धारित नहीं है।
3.	उत्तराखण्ड में सील किये गये मदरसों को खुलवाये जाने से सम्बन्धित नियम, प्रावधानों का पूर्ण विवरण, सम्बन्धित नियम, प्रावधानों तथा शासनादेशों, नोटिफिकेशनों की सत्यापित फोटोप्रतियों सहित।	बिन्दु संख्या 01 के अनुसार सूचना धारित नहीं है।
4.	उत्तराखण्ड में जांच कराये गये मदरसों की जिलावार संख्या का विवरण।	सूचना धारित नहीं है।
5.	बिन्दु संख्या 05 आपके द्वारा पत्र में अंकित नहीं है।	–
6.	उत्तराखण्ड में सील कराये गये मदरसों की जिलावार संख्या का विवरण।	सूचना धारित नहीं है।
7.	उत्तराखण्ड में सील किये गये मदरसों को उन मदरसों की जिलावार संख्या का विवरण, जिन्हें सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक खुलवा दिया गया है।	सूचना धारित नहीं है।
8.	उत्तराखण्ड में अपंजीकृत/अवैध मदरसों की अद्यतन सूची वैबसाईट पर उपलब्ध होने का विवरण, सम्बन्धित वैबसाईट के पूर्ण लिंक के विवरण सहित।	सूचना धारित नहीं है।
9.	उत्तराखण्ड में सील किये गये मदरसों की अद्यतन सूची वैबसाईट पर उपलब्ध होने का विवरण, सम्बन्धित वैबसाईट के पूर्ण लिंक के विवरण सहित।	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा वैबसाईट पर केवल मान्यता प्राप्त मदरसो की सूचना उपलब्ध करायी जाती है। सूचना धारित नहीं है।
10.	उत्तराखण्ड में सील किये गये उन मदरसों की अद्यतन सूची वैबसाईट पर उपलब्ध होने का विवरण, जिन्हें	सूचना धारित नहीं है।

क्रमशः

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, द्वितीय ब्लॉक, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। 0135–2975456

Email–ukmadarsaboard@gmail.com, website-www.ukmadarsaboard.org.in

सूचना का
अधिकार

	सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक खूलवा दिया गया है, सम्बन्धित वैबसाईट के पूर्ण लिंक के विवरण सहित।	

अतः उक्त सूचना 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की धारा 7(1) के अन्तर्गत सूचना का निपटारा किया जाता है। इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असन्तुष्ट हों तो आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिनका नाम व पता निम्नवत् है, में अपील दायर कर सकते हैं।

नाम– **राजेन्द्र कुमार,**
पदनाम– निदेशक / प्रथम अपीलीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।
पता–उपरोक्त।

भवदीय

(मोहम्मद ओबैदुल्लाह अन्सारी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप रजिस्ट्रार